राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प. 5(1)मं.मं./2014 जयपुर, दिनांक 01/08/2018

आज्ञा

इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 24.07.2018 द्वारा उद्योग विभाग से संबंधित भूमि अवाप्ति प्रक्रिया के प्रकरणों में अनावश्यक भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने पर विचार–विमर्श किये जाने के क्रम में मंत्रिगण की एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन किया गया था, के अनुसार उक्त समिति द्वारा उद्योग विभाग से प्राप्त **17 प्रकरणों पर** विचार कर सुझाव प्रदान किये जाने थे, के स्थान पर एतदद्वारा **आंशिक संशोधन** किया जाता है कि **"उक्त समिति उद्योग विभाग में प्राप्त प्रकरणों पर विचार करेगी तथा जिन प्रकरणों में भूमि अवाप्ति राज्य हित में आवश्यक नहीं है, उन्हें अवाप्ति से मुक्त करने हेतु विधि सम्मत सुझाव प्रदान करेगी।"**

उक्त मंत्रिमण्डलीय उप समिति 15 दिवस में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

उक्त मंत्रिमण्डलीय उप समिति का प्रशासनिक विभाग, उद्योग विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
7. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य सचिव

मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प.5(1)मं.मं./2014 जयपुर, दिनांकः 24/7/2018

आज्ञा

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अनुमति से उद्योग विभाग से सम्बन्धित भूमि अवाप्ति प्रक्रिया के प्रकरणों में अनावश्यक भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने पर विचार–विमर्श करने हेतु निम्नांकित मंत्रिगण की एक मंत्रिमण्डलीय उप–समिति का गठन एतद्द्वारा किया जाता है –

1. श्री युनुस खान — मा0 मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग
2. श्री राजपाल सिंह शेखावत — मा0 मंत्री, उद्योग विभाग
3. श्री बाबूलाल वर्मा — मा0 मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

उक्त समिति उद्योग विभाग से प्राप्त 17 प्रकरणों पर विचार करेगी तथा जिन प्रकरणों में भूमि अवाप्ति राज्य हित में आवश्यक नहीं है, उन्हें अवाप्ति से मुक्त करने हेतु विधि सम्मत सुझाव प्रदान करेगी।

उक्त मंत्रिमण्डलीय उप समिति 15 दिवस में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

उक्त मंत्रिमण्डलीय उप समिति का प्रशासनिक विभाग, उद्योग विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, सम्बन्धित मंत्रिगण।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
7. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव